(वाद सं0–828–4–5/2020)

18.02.2021

परिवादी, ब्रजनन्दन चौधरी अपने पुत्र, अरमेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र चौधरी के साथ उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी को उसकी निजी जमीन पर उसके गाँव के दबंगों द्वारा खेती–बाड़ी नहीं करने दिये जाने से संबंधित घटना की थानाध्यक्ष, गोपालपुर व अंचलाधिकारी, गोपालपुर (भागलपुर) से लगातार शिकायत करने के बावजूद भी उक्त पुलिस पदाधिकारी व प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, नवगछिया द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नवगछिया के जांच–प्रतिवेदन को अनुलग्नित कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। पुलिस प्रतिवेदनानुसार परिवादी के शिकायत पर गोपालपुर थाना कांड संख्या–428/19 संस्थित किया गया है जिसमें पुलिस ने अनुसंधानोंपरान्त घटना को असत्य पाकर न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन समर्पित कर दिया है जिस तथ्य को आज परिवादी भी स्वीकार करते हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नवगछिया के प्रतिवेदन में निम्नलिखित तथ्य का उल्लेख किया गया है :–

‘‘जांच के क्रम में यह भी बात प्रकाश में आया है कि आवेदक ब्रजनन्दन चौधरी का खेत इन्ही नामजद अभियुक्तों के खेत के बीच में है। जो दर्ज कांड को लेकर अपने–अपने खेत से होकर नहीं जाने देना चाहते हैं, इसी का विवाद गोतिया एवं ग्रामीणों से है।’’

आज राज्य आयोग के समक्ष भी परिवादी का कथन है कि गोतिया एवं ग्रामीण उसके निजी खेत पर जाने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तथा इस विरोध में स्थानीय मुखिया के पति की भी सहभागिता है।

अब, जबकि परिवाद–पत्र में उल्लेखित शिकायत पर पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर घटना को असत्य पाकर अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग द्वारा अन्वेषण के संबंध में कोई दिशा–निर्देश/अनुशंसा किया जाना फलहीन के साथ–साथ उचित भी नहीं है। परिवादी अगर अन्वेषण से असंतुष्ट महशुस करते हैं तो

वह संबंधित न्यायालय से विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकते हैं।

लेकिन जब परिवादी और पुलिस दोनों का यह कथन है कि परिवादी को गोपालपुर थाना कांड संख्या–428/19, दिनांक–29.12.2019 के प्राथमिकी अभियुक्तगण आज भी लगातार उसे अपने खेत पर जाने से बिना युक्ति संगत कारण से रोक रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में **पुलिस अधीक्षक, नवगछिया से यह अनुरोध है कि वह संबंधित पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित कर परिवादी को नियमानुसर समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि परिवादी भयमुक्त होकर अपना कृषि कार्य कर सकें।**

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, नवगछिया को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ उपलब्ध करा दी जाय साथ ही साथ परिवादी को तद्नुसार सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक